

25/10/08
20/10/08


दिनांक 21.10.08
कॉलेक्टर ऑफ स्टाम्प
यल्ल 21/10/08

न्यायालय श्री राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक

/बी-103/07-08

R 1354 I/08



चन्द्रकान्त पिता लोकमत
साकिन ग्राम हरई, तहसील परासिया
जिला - छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

आवेदक

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
जिला - छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
2. चूडामन पिता मलुकचन्द
साकिन हरई, तहसील परासिया,
जिला - छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 56(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

आवेदक न्यायालय श्री कलेक्टर ऑफ स्टाम्प छिन्दवाड़ा द्वारा रा.प्र. क्र. 03/बी.
-103/07-08 पक्षकार चन्द्रकान्त विरुद्ध चूडामत में पारित आदेश दिनांक 30.08.2008
से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है -

विचारण न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष विचारण प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 की मांजा हरई प.ह.नं. 95 तहसील परासिया,
जिला-छिन्दवाड़ा स्थिति कृषि भूमि ख.नं. 193/2, 194/1 एवं 218 रकबा क्रमशः 1.00
एकड़, 0.75 एकड़, 0.40 एकड़ भूमि खरीदने का सौदा दिनांक 27.04.2004 को
1,00,000/- रु. (एक लाख रूपया) में तय किया था तथा क्रयशुदा भूमि का
इकरारनामा 27.04.2004 को ही 100/- रु के स्टाम्प पेपर पर आवेदक के पक्ष में
निष्पादित किया था, तथा विक्रय सौदा के अनुरूप 25,000/- रु अग्रिम राशि के रूप
में अदा की थी तथा विक्रय भूमि का भौतिक कब्जा आवेदक को इकरारनामा दिनांक को

20

Koz

